इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 मार्च 2020—फाल्गुन 17, शक 1941

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2020

अधिसूचना क्र. 32-18-2020-21-मध्यम-इकतीस-24.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2020), मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 23 भोपाल दिनांक 23 जनवरी, 2020 में अधिसूचित किया गया है. अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में किए गए उपबंधों के अनुसार, यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त किया गया है.

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (3) में यथा विद्यमान उपबंधों के अनुसार, जल उपभोक्ता संथाओं की अवधि छह वर्ष है.

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2020) में किए गए उपबंधों के अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं की अवधि पांच वर्ष है.

अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2020 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 में किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अधिनियम के संशोधित उपबंधों के समुचित प्रवर्तन के लिए, समस्त जल उपभोक्ता संथाओं को विघटित किए जाने की आवश्यकता है.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 41 तथा इस संबंध में समस्त समर्थकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सभी विद्यमान जल उपभोक्ता संथाएं तत्काल प्रभाव से विघटित हो जाएंगी.

साथ ही, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्र. 23 सन् 1999) की धारा 34 तथा इस संबंध में समस्त समर्थकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नवीन जल उपभोक्ता संथाओं का गठन होने तक जल उपभोक्ता संथाओं को समनुदेशित किए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु कछाराधीन जल संसाधन

विभाग के नियंत्रणकर्ता मुख्य अभियंता को प्राधिकृत किया जाता है. मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 के नियम 21 के अनुसार जल उपभोक्ता संथाओं के सक्षम प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2020

क्र. 32-18-2020-21-मध्यम-इकतीस.—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-18-2019-मा.-31-24, दिनांक 06 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव.

Bhopal, the 6th March 2020

Notification No. 32-18-2019-M-XXXI-24.—Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Second Amendment) Adhiniyam, 2019 (No. 5 of 2020) has been notified by the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 23 Bhopal, dated 23rd January, 2020. In accordance with the provisions made in sub-section (2) of Section 1, the Act has been brought into force with effect from the date of notification in the Gazette.

In accordance with the provisions as existed in sub-section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2013, the tenure of Water Users' Associations is six years.

In accordance with the provisions made in the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Second Amendment) Adhiniyam, 2019 (No. 5 of 2020), the tenure of Water Users' Associations is five years.

Consequent upon the changes made in Section 4 of the principal Act by Act No. 5 of 2020, for the proper enforcement of amended provisions of the Act, all Water Users' Associations are required to be dissolved.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 41 and all other enabling provisions in this regard of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No 23 of 1999), all existing Water Users' Association constituted stand dissolved with immediate effect.

Also, in exercise of the powers conferred by Section 34 and all other enabling provisions in this regard of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), controlling Basin Chief Engineer of Water Resources Department are authorised to appoint Sub-Divisional Officers concerned to discharge the duties assigned to Water Users' Association till the new Water Users' Associations are constituted. The competent authorities of the Water Users' Associations will dischage their duties according to rule 21 of the Madhya Pradesh Farmer Organisation Rules, 1999.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VINOD SINGH TEKAM, Under Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.